

विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री मुकुल यादव
सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं0-01 का उत्तर।

प्रश्न

(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में उच्च बिभव (हाई वोल्टेज) अधिष्ठापनों के निरीक्षण हेतु विद्युत निरीक्षकों की कमी को दूर करने के लिये डिप्लोमा +15 वर्षों का विभागीय अनुभव रखने वाले निदेशालय के कर्मियों/अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक नामित करने हेतु उ०प्र० मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों अर्हताएं शक्तियां और कृत्य नियमावली 2024 शासनादेश संख्या-9/2024/401/24-3-25-2024 दिनांक 27 जून, 2024 नियमावली प्रख्यापित की गई है?

(ख) यदि हाँ, तो पात्रता रखने वाले सभी को अभी तक विद्युत निरीक्षक नामित न किये जाने के क्या कारण हैं?

(ग) नियम 5(i) ख के अनुपालन में सभी पात्र 15 अधिकारियों को भी विद्युत निरीक्षक नामित करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

जी हाँ।

पात्र अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक नियुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।